# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur2019-00370(2019-191) RTA225 Smt. Sushila Vs Hamiraram etc

1. श्रीमती सुशीला पत्नी रामदयाल
2. बेबी पुत्री रामदयाल
3. नवीन पुत्र रामदयाल
4. हापुराम पुत्र कानाराम
5. नारायण राम पुत्र कानाराम
6. किरण पुत्री कानाराम
7. सुन्दरी पत्नी कानाराम

जातियान् मेघवाल, निवासी- ग्राम जालीवाड़ा खुर्द तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

**अपीलाण्ट्स..**

**ब**

**ना**

**म**

1. हमीराराम पुत्र जाटूराम जाति लोहार, निवासी- जालीवाड़ा खुर्द तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. सायरी पत्नी जवरी लाल
3. प्रेमी देवी पत्नी शेषाराम
4. गोगली पत्नी प्रेमसुख

जातियान् माली, निवासी- जालीवाड़ा खुर्द तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

5. तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. इन्द्रा विश्नोई पत्नी पपूराम जाति विश्नोई, निवासी- शिकारगढ, तहसील व जिला जोधपुर।
7. सोहनी पत्नी महीराम, जाति विश्नोई, निवासी- जागुओ का बास रावर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर दिनांक 04 अक्टूबर 2019 राजस्व मुकदमा संख्या 8876/2018 रामदयाल बनाम हमीरराम**

---

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी

*श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक*
*श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच*

# नि र्ण य

**दिनांक : 21 नवंबर, 2022**

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 8876/2018 रामदयाल बनाम हमीरराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील दिनांक 02 दिसंबर 2019 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश कर जाहिर किया किया कि उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 45/2010 में वादी के मजदूरी करने हेतु बाहर चले जाने से विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण उक्त वाद संख्या 45/2010 दिनांक 28 अक्टूबर 2016 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश निरस्त किया जावे एवं मूल वाद को पुनः उसी नम्बर पर दर्ज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2019 के जरिये वादी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

बहस सुनी गयी। तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद की पैरवी अपीलांट संख्या पांच नारायणराम करता था एवं उसके द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ शपथ-पत्र निवेदन किया कि वह मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या दो जो नवीन जो सरकारी कर्मचारी है को आधार मानकर प्रार्थना पत्र गलत खारिज किया गया है, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। प्रतिवादी संख्या छः व सात की ओर से प्रार्थना पत्र में एक पक्षीय कार्यवाही की हुई थी एवं बकाया की ओर से बहस नही कर जवाब को ही उनकी बहस माना जाये का उल्लेख किया गया, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को नहीं मानने का कोई आधार पत्रावली में मौजूद नहीं था, फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। उच्चतर न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह माना गया है कि वकील की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं मिलना चाहिए, इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ मियाद प्रार्थना पत्र पेश किया एवं उसमें हुई देरी का कथन किया जिसको नहीं मानने का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई कारण नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा

विचारण न्यायालय के समक्ष लंबी अवधि बाद रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष नवीन वाद प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त सकता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण की परिस्थितियों एवं प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल दावा अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र को म्याद बाधित मानकर खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलाण्ट्स द्वारा अदालत हाजा के समक्ष जाहिर किया किया कि वादी के बाहर मजदूरी पर रहने से वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा के समक्ष अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, परिस्थितियों एवं किये गये अभिकथनों पर न्याय हित में विश्वास कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है। साथ ही अदालत हाजा अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन से भी सहमत है कि अधिवक्ता की किसी त्रुटि का खामियाजा पक्षकार पर नहीं होना चाहिये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 8876/2018 रामदयाल बनाम हमीरराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2019अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय को मूल वाद में तदनुसार विधिवत अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर